न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

सी0बी0आई0 बनाम् अबोध अग्रवाल

क्रिमिनल केस नं0–3055/19
आरसी नं0–0062019ए0006
थाना–सी0बी0आई0/ए0सी0बी0
धारा–7 पी0सी0 एक्ट 1988

07.12.2020

वाद पुकारा गया। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र बी–15 के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र बी–15 पर उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र बी–15

प्रार्थनापत्र बी–15 प्रार्थी/अभियुक्त अबोध अग्रवाल द्वारा सर्च के दौरान जब्त की गयी वस्तुओं को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथित किया गया है कि उसे धारा–7 पी0सी0 एक्ट के अपराध के अन्तर्गत आरोपित किया गया है। पर्सनल सर्च दिनांकित–11.05.2019 एवं रेज़िडेन्शियल सर्च दिनांकित–12.05.2019 के दौरान सी0बी0आई0 की टीम द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की विभिन्न वस्तुओं/सम्पत्तियों जैसे एक मोबाइल नोकिया हैण्डसेट सिम नं0–9450003854, एक मोबाइल लेनोवो हैण्डसेट सिम नं0–9794864392, एक डायरी (2016) तथा प्लॉट की रजिस्ट्री के 22 पेजों का गुच्छा जब्त कर लिया गया था। उपरोक्त वस्तुएं प्रार्थी/अभियुक्त की निजी सम्पत्ति हैं तथा इन्हें अभियुक्त द्वारा अपने द्वारा अर्जित पैसों से खरीदा गया था। उपरोक्त वस्तुएं लगभग 7 माह से अधिक समय से सी0बी0आई0 की अभिरक्षा में है। अभियोजन द्वारा प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। उपरोक्त वस्तुओं का प्रश्नगत आरोपों से कोई सम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त वस्तुएं प्रार्थी/अभियुक्त को सी0बी0आई0 द्वारा प्रदान नहीं की गयी हैं, अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त वस्तुओं को अपने पक्ष में अवमुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर अभियोजन/सी0बी0आई0 द्वारा अनापत्ति दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि पैरा संख्या–2 व 3 में उल्लिखित सम्पत्ति/वस्तुएं, जो सर्च के दौरान सीज़ की गयी थीं, उपरोक्त वाद में रिलाइड अपॉन नहीं हैं, अतः उन्हें न्यायालय के आदेश के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को वापस कर दिया जाये।

चूंकि सी0बी0आई0 द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है, अतः पर्सनल सर्च दिनांकित–11.05.2019 एवं रेज़िडेन्शियल सर्च दिनांकित–12.05.2019 के दौरान जब्त की गयी वस्तुएं, जो कि सी0बी0आई0 द्वारा दाखिल अनापत्ति में **पैरा संख्या–2 व 3 में उल्लिखित वस्तुएं** इस शर्त पर प्राथी/अभियुक्त के पक्ष में अवमुक्त किये जाते हैं कि दौरान विचारण आवश्यकता पड़ने पर प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त वस्तुओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रार्थनापत्र बी–15 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

आदेश की एक प्रति सी0बी0आई0 कार्यालय अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

पत्रावली वास्ते निस्तारण बी–11 दिनांक–24.12.2020 को पेश हो।

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।